न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– चिरंजीलाल दायमा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 12/2013 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. दतारसिंह पुत्र लालसिंह जाति रायसिख निवासी टाटरगंज तहसील पूरणपुर जिला पीलीभीत (उत्तरप्रदेश)

:—— अपीलांट

बनाम

1. लाडलीबाई पत्नि औतारसिंह जाति रायसिख निवासी हुसिंगपुर उप तहसील टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर

:—— रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी,तिजारा दिनांक 17.12.2012

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा
2. वकील रेस्पो0 :– बावजूद सूचना उपस्थित

निर्णय दिनांक 12.1.2016

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा विविध प्रार्थना पत्र संख्या 8/2005 उनवान लालसिंह बनाम लाडलीबाई में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2012 के विरूद्ध है, जिस निर्णय के द्वारा प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी0 पी0 सी0 खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने तहत न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी0 पी0 सी0 इस आशय का पेश किया कि दिनांक 14.10.2003 को उनके पिता लालसिंह का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है । मेरे पिता पंजाब में रहते थे । उनका देहान्त पंजाब में दिनांक 27.11.2002 को हो गया था । मैं उत्तरप्रेदश में रहता हूं । इसलिये विचाराधीन वाद की मुझे जानकारी नहीं हो सकी थी । इस कारण वाद अदम हाजरी में खारिज हो

Scanned by CamScanner

गया है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को पुनः नम्बर पर लिया जावे । तहत न्यायालय ने यह प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विद्वान तहत न्यायालय ने आदेश 9 नियम 9 के प्रावधानों को ठीक ढंग से अध्ययन नहीं किया । मुझे तहत न्यायालय में विचाराधीन वाद की कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । जानकारी होने पर मैंने तहत न्यायालय में अपना पक्ष रखा था । परन्तु तहत न्यायालय ने गलत तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । विद्वान तहत न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में लिखा है कि वाद वादी के अधिवक्ता की उपस्थिति में अदम तकमील में खारिज किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सांधारणीय नहीं है तथा खारिज किया जाता है । विद्वान तहत न्यायालय के इस विवेचन के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कृपया मूल वाद की आदेशिका दिनांक 14.10.2003 का अवलोकन फरमावें, जिसमें विद्वान तहत न्यायालय ने लिखा है कि वकील वादी उपस्थित नहीं, ना ही वादी उपस्थित । वकील वादी ने आज तक मरम्मत सवाल भी पेश नहीं किया है । अतः वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी तथा अदम तकमील में खारिज किया जाता है । इस आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट हो जायेगा कि जब वादी के वकील उपस्थित ही नहीं थे तो फिर विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में यह कैसे लिख दिया कि वादी के अधिवक्ता की उपस्थिति में अदम तकमील में वाद खारिज किया गया है । इसके अलावा जब मेरे पिता वादी लालसिंह की मृत्यु पहले ही दिनांक 27.11.2002 को हो चुकी थी तो फिर वह कैसे उपस्थित होता । वादी की मृत्यु की सूचना तहत न्यायालय को दे दी गई थी और दावा पत्रावली मरम्मत सवाल का प्रार्थना पेश करने हेतु नियत थी । ऐसी स्थिति में विद्वान तहत न्यायालय को चाहिये था कि वो दावा अदम हाजरी में खारिज न करके मरम्मत सवाल का प्रार्थना पत्र पेश करने का एक ओर अवसर देते । विद्वान तहत न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही अपीलाधीन आदेश का भी अवलोकन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2012 के अंतिम पैरा में लिखा है कि चूंकि सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 का प्रार्थना पत्र तभी प्रस्तुत किया जा सकता है, जब वाद वादी की अनुपस्थिति में खारिज किया गया हो । यह वाद वादी के अधिवक्ता की उपस्थिति में अदम तकमील में खारिज किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 संधारणीय नहीं है तथा खारिज किया जाता है । विद्वान तहत का यह विवेचन विधिसम्मत नहीं है । क्योंकि मूल दावा पत्रावली संख्या 710/98 उनवान लालसिंह बनाम लाडलीबाई की आदेशिका दिनांक 14.10.2003 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह वाद केवल अदम तकमील में खारिज न होकर अदम हाजरी, अदम पैरवी व अदम तकमील में खारिज हुआ था । अतः विद्वान तहत न्यायालय का अपीलाधीन आदेश में यह विवेचन कतई मानने योग्य नहीं है कि वाद अदम तकमील में खारिज हुआ था । यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि एक तरफ तो विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के अंत में लिखा है कि वाद वादी के अधिवक्ता की उपस्थिति में अदम तकमील में खारिज

Scanned by CamScanner

किया गया है । दूसरी तरफ मूल वाद की आदेशिका दिनांक 14.10.2003 में वादी के अधिवक्ता को अनुपस्थिति बताया गया है । शायद विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व आदेशिका दिनांक 14.10.2003 का ठीक ढंग से अध्ययन नहीं किया । इसीलिये मूल वाद की ओदिशका दिनांक 14.10.2003 में किया गया विवेचन तथा अपीलाधीन आदेश के अंत में किया गया विवेचन आपस में विरोधाभाषी है । इसके अतिरिक्त विद्वान तहत न्यायालय को यह सूचना मिल चुकी थी कि वादी की मृत्यु हो चुकी है । इसके पश्चात ही विद्वान तहत न्यायालय मरम्मत सवाल का प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अवसर देता रहा है । ऐसी स्थिति में जब कि वादी की मृत्यु हो चुकी थी और मूल दावा पत्रावली मरम्मत सवाल का प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु नियत चल रही थी तो तहत न्यायालय को चाहिये था कि वो दावा अदम हाजरी में खारिज न करके मरम्मत सवाल का प्रार्थना पत्र पेश करने का एक ओर अवसर देते ।

6. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल वाद संख्या 710/98 दिनांक 14.10.2003 को केवल अदम तकमील में खारिज न हो कर अदम हाजरी, अदम पैरवी, अदम तकमील में खारिज हुआ था । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 संधारणीय है, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया तथा मूल वाद पत्रावली संख्या 710/98 की आदेशिका दिनांक 14.10.2003 का अध्ययन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो कि विधिसम्मत नहीं है । लिहाजा विद्वान तहत न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो मूल वाद संख्या 710/98 को पुनः नम्बर पर लेकर अग्रिम कार्यवाही करें । प्रार्थी अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि वो तहत न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 10.2.2012 को उपस्थित हो ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(चिरंजीलाल दायमा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner